राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोही

क्रमांक: प.14(12)( )आ.प्र.एवं.सहा./बाढ/बांध/नहर/2025/568

–:: वित्तीय स्वीकृति ::–

दिनांक–18–10–2025

वर्ष 2025 अन्तर्गत अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध की नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड सिरोही द्वारा प्रस्तुत तहसील रेवदर, के प्रस्तावों के लिए आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांकः 36/2025–26 राजकाज नम्बर 17564822 दिनांक 05.09. 2025 एवं विभागीय समसंख्यक 16877152 दिनांक 30.07.2025 दिशा–निर्देश पत्रांकः 16877134 दिनांक 30.07.2025 तथा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 2069 दिनांक 16.10.2025 के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से निम्नलिखित कार्यो की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं –

कार्यकारी संस्था का नाम–अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही

क.सं.	नाम तहसील	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त बांध की नहर का वर्गीकरण	क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (किमी. से किमी. तक)	कुल लम्बाई (किमी. में)	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत राशि
		1.तहसील क्षेत्र–रेवदर					
1	रेवदर	उडवारिया नहर के आर.डी.2350 मी.से 2400 मी. तक नहर की दीवार	(लघु परि.)	उडवारिया नहर के आर.डी. 2350 मी.से 2400 मी.तक नहर की दीवार	0.050	2069 दिनांक 16.10.2025	1,99,235/–
					0.50	**योगः–**	**1,99,235**

उक्त राशि का व्यय वर्ष 2025–26 में निम्न लेखा मद में से किया जावेगा ।

2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02–बाढ चक्रवात आदि

122–खराब सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण सम्बन्धी निमार्ण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

[01]-बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता,

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि रु. 149426/-)

(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रु. 49809/-)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.17 21:26:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18417986

कार्य निम्न शर्तों के अध्यधीन करवाएं जायेगें–

1. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनरूत्थान में यह ध्यान रखा जावे कि परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत की जानी हैं, न कि नया निर्माण । अतः उन्ही कार्यो की मरम्मत करवाई जावे जो पेचवर्क द्वारा ठीक कराई जा सकती हैं।
2. वे कार्य जो Defect Liability period के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत SDRFसे देय नही हैं ।
3. उक्त कार्य के बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा ।
4. कार्यकारी ऐजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
5. स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
6. समस्त कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने आवश्यक हैं,कार्यो से संबंधित देनदारियां आगामी वर्ष में ले जाने पर भुगतान कार्यकारी संस्था के बजट मद से किया जायेगा।
7. भुगतान प्राप्त करने से पूर्व कार्यकारी ऐजेन्सी जल संसाधन विभाग उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उक्त कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया हैं ।
8. कार्यो के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र कार्य समाप्ति के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. आवंटित राशि के दुरूपयोग अथवा नियमानुसार उपयोग नही करने पर कार्यकारी ऐजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगी।
10. कार्य के व्यय में किसी प्रकार का विभागीय प्रोरेटा चार्ज देय नही हैं। अतः इसे व्यय में शामिल नही किया जावें।
11. राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरांत ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जाएगा एवं प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
13. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्रांक 16877152 दिनांक 30.07.2025 दिशा–निर्देश पत्रांक 16877134 दिनाक 30.07.2025 तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो, परिपत्रों में उल्लेखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,सिरोही

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. शासन सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार,आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर ।
4. सांसद महोदय,जालोर–सिरोही लोक सभा क्षेत्र ।
5. विद्यायक महोदय, रेवदर।
6. जिला प्रमुख महोदय सिरोही
7. प्रधान, पंचायत समिति रेवदर
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सिरोही।
9. उपखण्ड अधिकारी, रेवदर
10. तहसीलदार, रेवदर
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति, रेवदर
12. कोषाधिकारी, सिरोही।
13. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.17 21:26:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18417986

जिला कलक्टर,सिरोही